<u>न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी : अंकुर अग्रवाल, आर॰जे॰एस॰

नियमित फौज0 प्रकरण संख्या : 409/2022 (C.I.S.No.409/2022)

राजस्थान राज्य
बनाम

1. मोहम्मद इब्राहिम गौरी पुत्र मोहम्मद अखलाख गौरी, निवासी महुआबारी मोहल्ला, झालरापाटन
2. मोहम्मद रेहान पुत्र मोहम्मद अशरफ, निवासी मुकेरी मोहल्ला हाल-पंचमुखी बालाजी रोड़, झालरापाटन

<u>अपराध अन्तर्गत धारा : 341, 323, 336 सपठित धारा 34 भा.द.सं</u>.

उपस्थित :

1; श्री अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य पक्ष.
2. श्री शिवेन्द्र भार्गव अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से.

:: **<u>निर्णय</u>** :: दिनांक 03.06.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14.11.2021 को परिवादी दीपक चौधरी ने मय अपनी माँ चेतना चौधरी के उपस्थित थाना झालरापाटन होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह गायत्री मंदिर के पास कच्ची बस्ती का रहने वाला है। दिनांक 11.11.2021 को वह साइकिल से शोरूम पर जा रहा था तो रिहान ने कहा कि तूने हमारी गाड़ी में स्क्रेच कर दिया। उसने मना किया और शोरूम पर चला गया। आज दिनांक 14.11.2021 को शाम 7.00 बजे वह बाजार से घर जा रहा था तो टॉवर के पास उसे रिहान व उसके साथ दो और थे, जिनका नाम वह नहीं जानता, ने रोक लिया और कहा कि हमारी गली में मत आना। यह कहते हुए उसके साथ तीनों ही मारपीट करने लग गये। वह छुड़ाकर भागा तो उसके तीनों ने पत्थरों की फेंककर मारी। उसके कन्धे और सिर पर लगी। फिर उसका छोटा भाई चन्दन आया जिसने बचाया। उसकी माँ आई तो उसके साथ भी इमरान ने धक्का-मुक्की की।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना झालरापाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2021 अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भा.द.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण मोहम्मद इब्राहिम व मोहम्मद रेहान के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भा.द.सं. का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.1 दीपक चौधरी, पी.ड.2 चेतना, पी.ड.3 पप्पूलाल, पी.ड.4 चन्दन, पी.ड.5 डॉ० सुधानन्द, पी.ड.6 हेमराज के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.3, एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 को प्रदर्शित कराया।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं के विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया परन्तु बावजूद दिये जाने अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गयी।

6. प्रकरण की इसी स्टेज पर उभय पक्षकारान की ओर से **अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.द.सं. में** राजीनामा पेश होने पर राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर **अभियुक्तगण को जरिये राजीनामा दिनांक 19.05.2023 को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।** तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा **336/34 भा.द.सं. के तहत विचारण शेष** रहता है। .

7. बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि प्रकरण में आरोपित अपराध धारा 341,323/34 भा.द.सं. में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः शेष धारा में भी अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि -- क्या अभियुक्तगण मोहम्मद इब्राहिम व मोहम्मद रेहान ने परिवादी दीपक चौधरी व अन्य पर उपेक्षापूर्ण रूप से पत्थर फेंककर उसका मानव जीवन संकटापित किया ?

8. यदि हॉ तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र हैं?

9. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाहों को परीक्षित कराया है। गवाह पी.ड.1 दीपक चौधरी जिसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पर हस्तगत प्रकरण संस्थित हुआ है, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 11.11.2021 को सुबह 9 बजे वह अपनी

कम्पनी पर जा रहा था, जब वह बी.एस.एन.एल. टॉवर के पास पहुंचा तो उसे रेहान ने रोक लिया। जिसके साथ मोहम्मद अली व मोहम्मद इब्राहिम दो व्यक्ति थे। रेहान ने उससे कहा कि उसने मेरी गाड़ी पर स्क्रेच मार दिया। जिस पर उसने मना किया। इसके बाद दिनांक 14.11.2021 को इन तीनों (रेहान, मोहम्मद अली व मोहम्मद इब्राहिम) ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। जब वह चिल्लाया तो बीच-बचाव करने उसकी माँ चेतना, काका पप्पू व छोटा भाई चन्दन आये जिस पर इन लोगों ने उनके उपर पत्थर फेंके। पत्थर से उसके सिर व कन्धे पर चोटे आई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श पी.1 है।

10. प्रति-परीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि गाड़ी के स्क्रेच को लेकर हुआ था। घटना 14.11.2021 की है। प्रदर्श पी.1 में अखलाक व इमरान का नाम अलग पेन से लिखा हुआ है। घटनास्थल के आसपास काफी लोग रहते हैं। झगड़े में बीच-बचाव करने किरायेदार के बच्चे-बच्ची व उसका भाई आया था।

11. इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड.1 दीपक चौधरी द्वारा अपनी साक्ष्य में मोहम्मद इब्राहिम व मोहम्मद रेहान द्वारा उसके उपर पत्थर फेंकने के तथ्य की ताईद की है। उक्त गवाह से की गयी प्रति-परीक्षा में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे कि घटना कारित होने व पत्थर फेंकने के तथ्य का कोई खण्डन होता हो।

12. अन्य परीक्षित गवाहान पी.ड.2 चेतन, पी.ड.3 पप्पूलाल व पी.ड.4 चन्दन द्वारा भी अपनी साक्ष्य में रेहान, इब्राहिम व मोहम्मद अली द्वारा दीपक के साथ मारपीट करने व उनके द्वारा बीच-बचाव करने पर पत्थर फेंकने का कथन किया है। उक्त गवाहान से की गयी प्रति-परीक्षा में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे कि मोहम्मद इब्राहिम व मोहम्म रेहान के वक्त घटना मौजूद होने व पत्थर फेंकने के तथ्य का कोई खण्डन होता हो।

13. अन्य परीक्षित गवाह पी.ड.5 डॉ० सुधानन्द द्वारा अपनी साक्ष्य में मजरूब दीपक के शरीर पर आई चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.3 तैयार किये जाने व गवाह पी.ड.6 हेमराज द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं के द्वारा अनुसंधान किये जाने के तथ्य की ताईद की है।

14. इस प्रकार पत्रावली पर उपरोक्त समग्र गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पक्ष व परिवादी पक्ष के मध्य गाड़ी में स्क्रेच की बात को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें अभियुक्तगण मोहम्मद इब्राहिम व मोहम्मद रेहान द्वारा दीपक व अन्य पर पत्थर फेंके गये थे। गवाहान द्वारा अपनी साक्ष्य में वक्त घटना रेहान, इब्राहिम व मोहम्मद अली द्वारा पत्थर फेंकने का कथन किया है किन्तु प्रकरण में मोहम्मद अली को मुलजिम नहीं बनाया गया है अपितु बाद अनुसंधान केवल मोहम्मद इब्राहिम व रेहान की घटना में संलिप्तता प्रमाणित पाई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली परआई साक्ष्य से अभियुक्तगण मोहम्मद इब्राहिम व

मोहम्मद रेहान द्वारा परिवादी दीपक व अन्य पर पत्थर फेंककर उनका मानव जीवन संकटापित किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण धारा 336/34 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य हैं।

:: आदेश ::

15. एतदद्वारा अभियुक्तगण 1. मोहम्मद इब्राहिम गौरी पुत्र मोहम्मद अखलाख गौरी, निवासी महुआबारी मोहल्ला, झालरापाटन व 2. मोहम्मद रेहान पुत्र मोहम्मद अशरफ, निवासी मुकेरी मोहल्ला हाल-पंचमुखी बालाजी रोड़, झालरापाटन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 336/34 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अन्वीक्षार्थ प्रस्तुत प्रतिभू व बंध पत्र भार से उन्मोचित किये जाते हैं। अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.द.सं. के आरोप से पूर्व में दिनांक 19.05.2023 को जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

(अंकुर अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालरापाटन

16. **धारा 336/34 भा.द.सं. के सम्बन्ध में सजा के बिन्दु पर सुना गया।**

अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त रेहान विद्यार्थी है। पक्षकारान के मध्य धारा 341, 323/34 भा.द.सं. में राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को समुचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

17. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है व इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण ने स्वयं का शपथ-पत्र भी पेश किया है। पत्रावली पर उभय पक्षकारान के मध्य धारा 341, 323/34 भा.द.सं. में राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को कारावास के दण्ड से दण्डित करने के बजाय परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: <u>दण्डादेश</u> ::

18. अतः अभियुक्तगण 1. मोहम्मद इब्राहिम गौरी पुत्र मोहम्मद अखलाख गौरी, निवासी महुआबारी मोहल्ला, झालरापाटन व 2. मोहम्मद रेहान पुत्र मोहम्मद अशरफ, निवासी मुकेरी मोहल्ला हाल-पंचमुखी बालाजी रोड़, झालरापाटन

को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 336/34 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त 10,000/- रूपये की एक जमानत व इसी राशि का स्वयं का बंध-पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये न्यायालय के संतोषप्रद पेशकर तस्दीक करावे कि वह उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, शान्ति व सदाचार बनाये रखेगा एवं जब भी न्यायालय तलब करेगा तो वह न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय जो सजा देगा वह उसे भुगतने के लिये तत्पर रहेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर 500/- रूपये, इस प्रकार कुल 1000/- रूपये अभियोजन व्यय के भी अधिरोपित किये जाते हैं। साथ ही अभियुक्तगण मोहम्मद इब्राहिम गौरी व मोहम्मद रेहान को परिवीक्षा अधिनियम की धारा-12 का लाभ इस आशय का दिया जाता है कि इस दोषसिद्धि की कोई विधिक निर्हता नहीं होगी।

(अंकुर अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालरापाटन

19. निर्णय आज दिनांक 03.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकुर अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालरापाटन

प्रमाण–पत्र

निर्णय में किये गये सभी संशोधन को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(संदीप कुमार व्यास)
आशुलिपिक

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।